संख्याः 44/2020/1251 ई-2/तेरह-2020-01/2020

प्रेषक,

अनिल कुमार
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

आबकारी अनुभाग-2

लखनऊः दिनांक 01 जून, 2020

विषयः- गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3/2020-डी.एम.-I(ए) दिनांक 30.05.2020 एवं गृह (गोपन) अनुभाग-3 के शासनादेश दिनांक 31.05.2020 के क्रम में आबकारी विभाग के थोक एवं फुटकर अनुज्ञापनों के संचालन की समयावधि के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आबकारी अनुभाग-2 के शासनादेश संख्याः-37/2020/765ई-2/तेरह-2020-01/2020, दिनांक 03.05.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करे। जिसके द्वारा दिनांक 03.05.2020 से लॉकडाउन अवधि में आबकारी विभाग के समस्त थोक एवं फुटकर अनुज्ञापनों के संचालन की अवधि प्रातः 10:00 बजे से सायं- 07:00 बजे निर्धारित की गयी थी।

2. उल्लेखनीय है कि गृह (गोपन) अनुभाग-3 के शासनादेश दिनांक 31.05.2020 के द्वारा दिनांक 01.06.2020 से प्रभावी दिशानिर्देशों में समस्त बाजार प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक खोलने की व्यवस्था की गयी है। इसके क्रम में आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-जी-291/10-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2020-21 दिनांक 01.06.2020 में किये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हॉटस्पॉट/कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर स्थित देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर दुकानों तथा माडल शाप्स सहित सी.एस.डी. कैण्टीनों के एफ.एल.-9 एवं 9ए अनुज्ञापनों तथा समस्त थोक एवं बाण्ड अनुज्ञापनों का संचालन प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। शासनादेश दिनांक 03.05.2020 की शेष व्यवस्थायें यथावत रहेंगी।

3. सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा-पान का उपभोग निषिद्ध होगा। प्रकरण में विस्तृत विवरण हेतु गृह (गोपन) अनुभाग-3 के उक्त सन्दर्भित आदेश संख्याः-1382/2020/सीएक्स-3, दिनांक 31.05.2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का यथास्थिति संदर्भ लिया जाना अपेक्षित होगा।

तदनुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

01/06/2020

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या: /2020/1251 (1) ई-2/तेरह-2020तददिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि आबकारी आयुक्त, उ.प्र. प्रयागराज को इस आशय प्रेषित कि वह अपने स्तर से प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।